भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3243
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में एनएचएम के अंतर्गत केंद्रीय निधि जारी करना

†3243. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत केरल राज्य को केंद्रीय निधि जारी करने में कोई विलंब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी निधि जारी करने में विलंब के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में पिछले चार वर्षों में आवंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधि की राशि क्या है;

(घ) उक्त राज्य में पिछले चार वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के हिस्से का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्रस्तावित और वर्ष 2019 से वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिसमें जारी और उपयोग की गई निधि की राशि भी शामिल है; और

(च) क्या राज्य के आकांक्षी जिलों, विशेषकर वायनाड में स्वास्थ्य सेवा के अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कोई पहल की जा रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों के अधीन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एनएचएम के अंतर्गत निधि निर्गमन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर, निधि निर्गत की जाती है/अब तक जारी की जा चुकी है।

एनएचएम के तहत केरल राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान केंद्रीय निर्गमन और व्यय का विवरण:

वित्त वर्ष	केंद्रीय निर्गमन	व्यय
2021-22	771.47	1,230.96
2022-23	1,036.76	1,592.96
2023-24	189.15	1,246.25
2024-25	1,351.78	1,422.88

नोट:

1. उपरोक्त जारी निधि केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केंद्रीय व्यय, राज्य व्यय और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अ.शा.संख्या 32/पीएसओ/एफएस/2015 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के अनुसार, वित्त पोषण केंद्र और केरल राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

इसके अलावा, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। हालाँकि, एनएचएम के अंतर्गत, केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीले पूल के तहत एकमुश्त निधि जारी की जाती है, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार निधि का उपयोग करने में अधिक लचीलापन मिल सके। प्रत्येक राज्य हेतु दी गई स्वीकृति कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) में संदर्भित है, जो निम्न लिंक पर उपलब्ध है: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744 ।

केरल राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने संबंधी एसपीआईपी अनुमोदन निम्नानुसार दिया गया है:

(लाख रु.में)

वित्त वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन
2021-22	5897.00
2022-23	12,709.03
2023-24	18,104.34
2024-25	6,927.35

नोट:

1. उपरोक्त जानकारी राज्य द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वायनाड जिले में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और लाभार्थियों को निर्बाध स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करने के लिए चरण-I में 54, चरण-II में 36 और चरण-III में 40 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप उन्नत करने का कार्य पूरा हो चुका है।

*****